

राजस्थान सरकार

शामिल विकास एवं पंचायती राज विभाग

सामाजिक लेखा परीक्षा जयपुरदली एवं पारदर्शीता सोसायटी, राजस्थान जयपुर

(E-mail: DIR-SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN 1227725)

दिनांक ११/१/२०२०

क्रमांक - एफ 61(21)SSAAT/नियमावली/2019 / 1305

(आदेश १०/२०२०)

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के घरन
संबंधी नियम, 2020 में संशोधन

सामाजिक लेखा परीक्षा जयपुरदली एवं पारदर्शीता सोसायटी (SSAAT) की शामी नियमों की विधि द्वारा 26.11.2019 के लिये लक्ष्या-१५ एवं कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 24.02.2020 के लिये लक्ष्या-१४ की पारदर्शीता सोसायटी में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के घरन विधि, 2020 हस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 61 (21) SSAAT/नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 17.03.2020 के हाथा जारी किये गये हैं।

लक्ष्यान में कार्यिल-१९ विशेषज्ञ महामारी के प्रभाव के प्रकाश में संसाधनी की कार्यालयी समिति की विधि द्वारा 29.07.2020 में इन नियमों के प्राक्कानों पर सुन विचार दिया रखा और लिये रखा गया है। इस नियमों में उपर्युक्त संशोधन किये जाने के विवेद प्रदान किये गये। उपरोक्त विधि का इन नियमों में फारी किये गये संशोधन आदेश क्रमांक एफ 61(21) SSAAT/नियमावली/2019/7497-7514 दिनांक 17.03.2020 ने विधि नुसार संशोधन किये जाते हैं।

1. सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के घरन शुल्की विधि, २०२० (५)।-लिखित परीक्षा आयोजन सञ्च विधि ५(५) ईकायिक व एडीएग्यू एम्यूल एवं ए.ए.ए.ए. के प्रतिशत का औसत के आधार पर घरन संबंधी प्रावधानों में विभा संशोधन किया जाता है-

“सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, इनके संसाधन व्यक्ति एवं संसाधन व्यक्ति के लिए इन नियमों में लिखित परीक्षा आयोजन किये जाने के प्रावधान का कार्यिल-१९ की परिवर्धितियों को कानूनवार हटाया जाता है। अब यहन तेहु लिखित परीक्षा के बारे में इन नियमों ने प्रावधित लेखन अनुसन्धान शैक्षणिक योग्यता (Minimum Educational Qualification) प्राप्ताओं के प्रतिशत के आधार पर ही प्रैरोक्षणिक योग्यता के प्राप्ताओं को शामिल किये जिता वरां राज्यी इनाजार घरन प्रक्रिया संपादित की जातेगी।”

2. न्यौत संसाधन व्यक्तियों भी को प्रैरोक्षणिक योग्यता के लाभ उपर्युक्त नियमों के प्रावधान (५) (५)- प्रैरोक्षणिक/ न्यौतीकी योग्यता-मूला प्रैरोक्षणिकी/ कम्प्यूटर कार्य में देखा जाना विधि नुसार प्रावधान जोड़ा जाता है।-

“Rajasthani Knowledge Corporation Ltd.(RKCL) हाथा कराय जा रह कम्प्यूटर प्रैरोक्षण (RSCIT) या अन्य मान्यता प्राप्त रस्ताओं से सूखना प्रैरोक्षणिकी/ कम्प्यूटर कार्य का डिजिट/ इंटर्नेशन-पत्र प्रस्तुत किया जान अनिवार्य होगा।”

3. सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, इनके संसाधन व्यक्तियों की घरन प्रक्रिया संपादित करने हेतु नियमानुसार (RTPP Act,2013 & RPP Rules,2013 के प्रावधानानुसार) घटनित रस्ता/रायेदक के माध्यम से केवल ऑनलाइन (Online) तर पृष्ठ पारदर्शीता के बारे अवेदन-पत्र लिए जातेंगे। अनुमोदित संसाधन/संगठक हाथा आदेश तर पारदर्शीता की ईकायिक प्रसंस्करण १२ अन्य आवधान दस्तावेज़ की जांच की पारदर्शीता पृष्ठ की आवेदकों की समान्य दरीयता दूरी और आवधान हाथु आविर्द्ध रहता है।

नम्बरा आवश्यकतानुसार धूपी वस्तुनिष्ठा से (Objectivity) तथार की जाकर सोसायटी को उपलब्ध
करायी जाएगी।

मानव संशोधन त्रुति प्रभाव से लगू होते हैं।

उपर्युक्त सामाजिक विकारा विशेषज्ञ पूर्ण विनाय समाजिक सोसायटी के विनाय काली दिनांक 2020
सम्बन्धी शोषण मुद्दे संधिव रह अधिक इसी निकाय (SSAAT) की आई हो सकता
है। दिनांक / 2020 द्वारा अनुमतित है।

(रामानन्दर शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जगत्कर्ता

एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

6(21))SSAAT/नियमावली/2019/ /३०६ २२

दिनांक २७-१-२०२०

विभिन्न का राजनीति एवं आवश्यक कार्यकारी देश परिवर्तन है।

संक्षिप्त भाष्यकारी महोदय, राजस्वान सरकार।

एवं संक्षिप्त भाष्य संविध एवं अध्यक्ष गहो शासी निकाय, सामाजिक अवृत्त परीक्षा जगत्कर्ता एवं
सोसायटी (SSAAT)।

विभिन्न भाष्य विभिन्न एवं महोदय कार्यकारी देशी सामाजिक लेखा परीक्षा जगत्कर्ता एवं
सोसायटी (SSAAT)।

राजसन राजनीति विकास विभाग ग्रामीण समाजिक भारत-सरकार, नई दिल्ली।

महालखण्डन, राजस्वान।

विभिन्न विभिन्न विभाग।

संक्षिप्त एवं शोजात्मक विभाग।

संक्षिप्त एवं आमुक्त सोसायटी राज विभाग।

संक्षिप्त भाष्य भाष्य।

एवं शासन संधिव, ग्रामीण विकास विभाग सह उपायकारी कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा

देशी एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)।

संक्षिप्त भाष्य एवं आधिकारिता विभाग।

राजसन भाष्य विभाग (३२८-५) विभाग।

संक्षिप्त भाष्य विभाग।

एवं सामाजिक अवृत्त परीक्षा जगत्कर्ता सोसायटी (SSAAT)।

अन्तिम विभाग ग्रामीण विकास विभाग/पर्यायतो राज विभाग/ग्रामीण नियन्त्रण विभाग।

को प्रतिलिपि वर लिया है कि आपके विभाग की तक्षसाइट पर इन उल्लेखित विभागों का राजग्रामीण

विभागीय विभाग जो भाग है।

ग्रामीण सम्बन्धी अधिकारी/परीक्षा विभाग।

विभाग।

(रामानन्दर शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जगत्कर्ता

एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)